# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जे-910 दिनांक 18/10/2021

## विज्ञप्ति

जयपुर शहर में कबीर पारख संस्थान हेतु जनकल्याणकारी गतिविधियों एवं भवन निर्माण के संबंध में 1000 व.मी. भूमि आवंटन के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में पेश कर सकता हैं।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

81

प्रपत्र- अ

# चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संस्था/ संगठन का नाम | कबीर पारख संस्थान |
| 2. | प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) | संत प्रभाकर साहेब |
| 3. | डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. | कबीर पारख संस्थान -13 विनोबाभावे नगर कोटा # 9414646463, Email - KPSKota13@gmail.com |
| 4. | भूमि आवंटन का उद्देश्य | जन कल्याणकारी गतिविधियों हेतु भवन निर्माण |
| 5. | चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) | " |
| 6. | भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | 1000 वर्ग मीटर |
| 7. | प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण) | प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न |
| 8. | संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण। | इस संस्थान को जयपुर शहर में पूर्व में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई |
| 9. | संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज | |
| | (i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र | संलग्न |
| | (ii) बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स | संलग्न |
| | (iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट | संलग्न |
| | (iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। | संलग्न |
| | (v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण) | संलग्न |
| | (vi) रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। | संलग्न |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय **(Urban Body)** आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :...............

स्थान :.............

प्रभाकरदास

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संत प्रभाकर साहेब

संस्थापक नाम व पद

4 82 18

प्रपत्र–2

# स्व– घोषणा पत्र

मैं/ हम....संत प्रभाकर....पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री....चेतन देव जी....
उम्र....52....वर्ष, निवासी....रैनाबाड़ी....जिला....कोटा....
राजस्थान घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

प्रभाकरदास

आवेदक के हस्ताक्षर

(8) (83) (19)

राजस्थान सरकार

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ५३ — /कोटा 1995 -96

यह प्रमाणित किया जाता है कि कबीर पाठशाला

[illegible] कोटा जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 [ राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958 ] के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक पच्चीस माह अगस्त सन् एक हजार नौ सौ पिच्यानवे को कोटा में दिया गया ।

रजिस्ट्रार

संस्थाएं - [illegible]

रजिस्ट्रार

संस्थाऐं कोटा (राजस्थान)

12

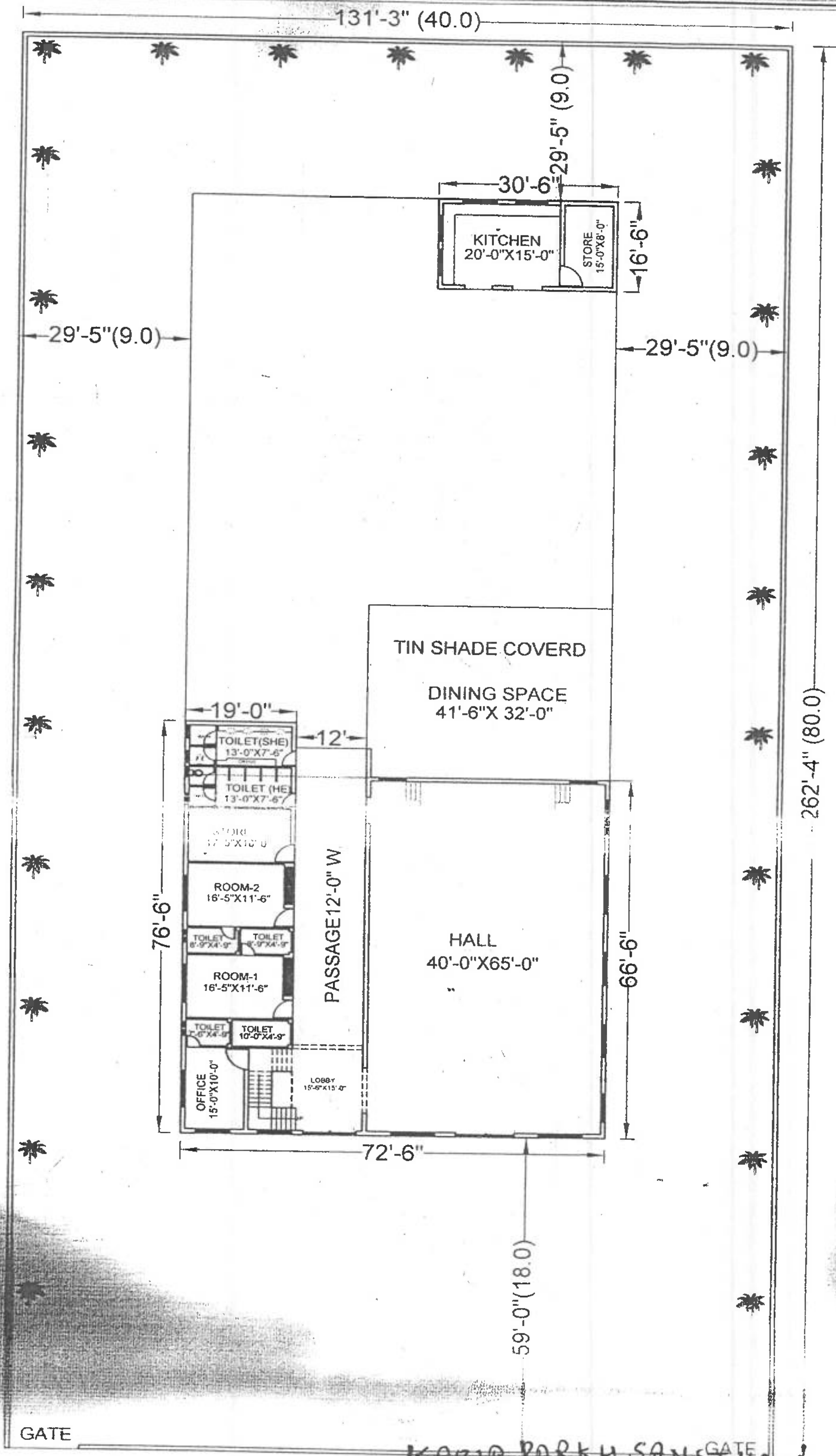


PROPOSED GROUND FLOOR PLAN KABIR PARKH SANSTHAN KOTA (RAJ)

CONSULTANT

**MANOJ ASSOCIATES**

PH. 0744-2407429, FAX 0744-2407429

4-A-2, 1st FLOOR TALWANDI KOTA (RAJ)

(33) (31)

# आवश्यक मीटिंग दिनांक 31-12-2020

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आवश्यक बैठक आमत्रित की गई आज की मीटिंग का एजेण्डा कबीर पारख संस्थान हेतु जयपुर मे भू खण्ड आवंटन बाबत है।
वर्ष 2015 से कबीर पारख संस्थान 13 विनोबा भवन कोटा मे संचालित हो रहा है चूंकि वर्तमान मे संस्थान के पास कोई भूखण्ड नही है और नाही संस्थान के पास को भवन उपलब्ध है।

यह संस्थान जन कल्याण कारी कार्य भी भवन के अभाव मे भरपूर कार्य नही हो रहे है। एवं अन्य गति विधिया भी पूर्ण रूप से सम्पन्न नही हो पा रही है इसलिये ऐसी परिस्थिति मे केवल एक विकल्प है कि कबीर पारख संस्थान हेतु एक भूखण्ड 50x100 के लिये जयपुर शहर मे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर मे भूमी आवंटन हेतु निवेदन किया जावे ताकि भूखण्ड उपलब्ध होने पर संस्थान द्वारा भवन का निर्माण सूचारु रूप से सेवा की गति विधिया की जा सके सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।
[illegible]
प्रभाकर साहेब को अधिकृत किया गया। प्रभाकरदास

Mahesh

(लड्डूलाल महावर)

बक्की लाल

मनोज

सुबोधदास

छेदोलाल सिंह

Karam Singh

युगराज नागर

(152)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

17 SEP 2021

शपथ पत्र

AW 659275

मैं कि संत प्रभाकर दास गुरू श्री चेतन देव जी आयु 54 वर्ष अध्यक्ष कबीर पारख संस्थान, कोटा – राजस्थान का हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जयपुर शहर में नगर निगम, जिला कलक्टर कार्यालय तथा ज0वि0प्रा0 से कबीर पारख संस्थान को कहीं भी भूखण्ड आवंटन नहीं हुआ है।

2. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यह संस्था सामाजिक कार्य जैसे सत्संग, प्रवचन, नशा मुक्ति, परिवार कल्याण, ऊँच–नीच, छुआ–छूत का भेद–भाव मिटाने तथा मानवीय एकता राष्ट्रीय अखण्डता, परस्पर सौहार्द एवं पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, समस्त मानव समाज के लिए कार्य करती है।

3. मैं शपथ पूर्वक बयान करता उक्त संस्था परोपकारी गतिविधियॉ ही संचालित करेगी, इसमें व्यवसाय, वाणिज्यिक की कोई गतिविधियॉ संचालित नहीं करेगी।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त पंक्तियों में मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है, जिससे कि संस्था को किसी प्रकार की हानि हो। सत्य बोलने में गुरूदेव मेरी मदद करें।

दिनांक : 19.9.2021

प्रभाकरदास

हस्ताक्षर शपथकर्ता–

143

# कबीर पारख संस्थान , कोटा

Email:kpskota13@gmail.com

भवन निर्माण कार्य प्रारंभ व पूर्ण करने का विवरण

कबीर पारख संस्थान को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवन्टित कर कब्जा दिये जाने के छः माह में कार्य प्रारम्भ कर 2वर्ष के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

दिनांक
20 · 9 · 2021

निवेदक

प्रभाकरदास

आचार्य संत प्रभाकर दास

अध्यक्ष कबीर पारख संस्थान कोटा